अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–5/भर्ती प्रकोष्ठ)विभाग

क्रमांकः प. 16 (77)कार्मिक/क–5/भर्ती प्रकोष्ठ/2024 जयपुर, दिनांक 26 NOV 2024

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के बैकलॉग पदों को भरने के संबंध में।

अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग के पदों के संबंध में समस्त प्रशासनिक विभागों से सूचना चाही गई थी। कुछ विभागों ने अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग के पदों की सूचना प्रेषित की है।

विभागों द्वारा प्रेषित सूचना के परीक्षणोपरान्त स्पष्ट होता है कि विभागों द्वारा अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग को भरे जाने के संबंध में लम्बे समय से सीधी भर्ती के साथ बैकलॉग रिक्तियां को भरने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग के पदों को भरने के संबंध में कार्मिक(क–2)विभाग द्वारा समय–समय पर परिपत्र यथा दिनांक 09.10.2000, 01.07.2015 एवं 24.02.2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देशों के जारी होने के बावजूद भी विभागों द्वारा अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही नहीं की जा रहीं है।

अतः अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग के पदों को भरे जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1– अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने में यदि कोई कठिनाई/बाधा उत्पन्न हो रही है तो इस संबंध में कार्मिक विभाग के स्तर से कोई राय अपेक्षित है तो प्रकरण कार्मिक विभाग को राय हेतु प्रेषित करें।

2– अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के उपरान्त भी अनु0जाति/अनु0जनजाति के पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते है, तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार बैकलॉग की रिक्तियों को सुनिश्चित करते हुये भरने की कार्यवाही करें।

3– अनु0जाति/अनु0जनजाति के बैकलॉग को यदि सीधी भर्ती के साथ ही भर लिया गया है, तो ऐसे पदों का बैकलॉग समाप्त माना जाना चाहिये।

4– जॅहा ऐसी सम्भावना है कि वर्तमान नियमों में किसी प्रावधान के कारण भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही या समुचित अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे और इस हेतु नियम संशोधन आवश्यक है, तो औचित्य सहित प्रस्ताव भी प्रेषित करें।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को व्यादिष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग की रिक्तयों की शीघ्र गणना कर इसकी सूचना इस विभाग को भिजवाये एवं सीधी भर्ती करते समय बैकलॉग रिक्तियों की स्पष्ट गणना करते हुये इन पदों को भरने की सुनिश्चितता करें।

(डॉ0 के0के0 पाठक)
शासन सचिव